न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 205/2018/225 आर टी ए

1. सोहनसिंह पुत्र मुकन्दसिंह जाति मेघवंशी निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. मखनसिंह पुत्र हाकमसिंह जाति चमार निवास गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––असल रेस्पोडेंटस

3. मोहन सिंह पुत्र मुकन्दसिंह जाति मेघवंशी निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. गुड्डी देवी पत्नि जेठाराम जाति रेगर निवासी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. प्रेमकुमारी पत्नि अशोककुमार जाति रेगर निवासी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–– तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 04.06.2018 न्यायालय सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़
प्र0सं0 235/2018 बअनवानी मखनसिंह बनाम सोहनसिंह आदि

उपस्थित :–
श्री योगेश झोरड़ अधिवक्ता अपीलांट
श्री देवदत भीड़ासरा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

निर्णय दिनांकः–03.08.2018

1. प्रकरण के तथ्यं संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत स्वीकृति रास्ता प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन हेतु अपीलांट व रेस्पो0 सं. 3 की खातेदारी भूमि मे रास्ता स्वीकृत किये जाने अनुतोष चाहा जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए रास्ता स्वीकृत किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश गलत व विधि विरूद्ध एवं न्यायिक सिद्धांतो के खिलाफ होने के कारण काबिले खारिज है। अपीलांट के हित को सुरक्षित करना अदालत का दायित्व है लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के हितो की ओर गौर न कर कानूनी भूल की है। रेस्पो0 सं. 1 के पिता

हाकमसिंह व अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 के पिता मुकन्दसिंह के मध्य एक वाद सहायक जिलाधीश हनुमानगढ़ के समक्ष जैरकार था जिसमे सहायक जिलाधीश हनुमानगढ़ द्वारा जरिये राजीनामा एक डिक्री दिनांक 21.03.1985 को जारी की जिसमे मुकन्दसिंह व हाकमसिंह का खाता विभाजन के साथ मुकन्दसिंह (अपीलांट के पिता) द्वारा हाकमसिंह (रेस्पो0 के पिता) को अपनी भूमि मे आवागमन हेतु प.न. 149/284 के कि.न. 24 व 25 मे से आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध करवाया गया जो आज भी चालू है तथा मुताबिक डिक्री हाकमसिंह अपने नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज आराजी मे आवागमन हेतु प.न. 149/284 के कि.न. 24 व 25 को बतौर रास्ते उपयोग व उपभोग करता रहा तथा हाकमसिंह की मृत्यु उपरांत मखनसिंह ही इसी रास्ते के जरिये अपनी भूमि मे आवागमन करता रहा। रेस्पो0 सं. 1 को अपनी भूमि मे आवागमन हेतु सहायक जिलाधीश हनुमानगढ़ की डिक्री दिनांक 21.03.1985 के अनुसरण मे रास्ता उपलब्ध था तथा रेस्पो0 सं. 1 भी अपने पिता द्वारा किये गये राजीनामा से विबंधित था तथा राजीनामा अनुसार रेस्पो0 सं. 1 नये रास्ते की मांग नही कर सकता था परन्तु रेस्पो0 सं. 1 द्वारा जानबूझकर अपीलांट को तंग व परेशान करने की नियत से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर रास्ता स्वीकृत करवाया है जो काबिले निरस्ती है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 की भूमि चक 8 एसएसडब्ल्यू के खाता सं. 195/314 प. न. 149/285 मु.न. 38 कि.न. 18 ता 23 प.न. 149/286 मु.न. 39 कि.न. 1 नहरी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रेस्पो0 को अपनी उक्त भूमि मे आवागमन के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। रेस्पो. हमेशा से अपीलांट के कब्जा काश्त की चक 8 एसएसडब्ल्यू प.न. 149/285 कि.न. 24 व 25 मे से होकर मंजूरशुदा खाला के पास से आता जाता रहा है परन्तु अपीलांट रेस्पो0 के आवागमन मे बाधा करने के कारण उक्त रास्ता को स्वीकृत करवाकर राजस्व मे अंकन करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए पेश कर प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत करवाने का अनुतोष चाहा गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तहसीलदार मंगवाई। मुताबिक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 को अपनी भूमि मे आवागमन हेतु रास्ता की परम आवश्यकता के बिन्दू को मध्यनजर रखते हुए अपीलाधीन आदेश के जरिये रास्ता

स्वीकृत किया गया है जो सही एवं विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता स्वीकृति पेश कर अपीलांटस की खातेदारी भूमि भूमि मे से चक 8 एसएसडब्ल्यू प.न. 149/285 कि.न. 24 व 25 मे रास्ता स्वीकृत किये जाने का अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत किया गया। जबकि अपीलांटस के कथनानुसार एवं सहायक जिलाधीश हनुमानगढ़ द्वारा पारित डिक्री दिनांक 21.03.1985 के अनुसार रेस्पो0 सं. 1 के पिता हाकमसिंह व अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 के पिता मुकन्दसिंह के मध्य एक वाद सहायक जिलाधीश हनुमानगढ़ के समक्ष जैरकार प्रस्तुत किया था जिसमे सहायक जिलाधीश हनुमानगढ़ द्वारा जरिये राजीनामा एक डिक्री दिनांक 21.03.1985 को जारी की जिसमे मुकन्दसिंह व हाकमसिंह का खाता विभाजन के साथ मुकन्दसिंह (अपीलांट के पिता) द्वारा हाकमसिंह (रेस्पो0 के पिता) को अपनी भूमि मे आवागमन हेतु प.न. 149/284 के कि.न. 24 व 25 मे से आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध करवाया गया तथा अपीलांटस के कथनानुसार जो आज भी चालू है तथा मुताबिक डिक्री हाकमसिंह अपने नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज आराजी मे आवागमन हेतु प.न. 149/284 के कि.न. 24 व 25 को बतौर रास्ते उपयोग व उपभोग करता रहा तथा हाकमसिंह की मृत्यु उपरांत मखनसिंह ही इसी रास्ते के जरिये अपनी भूमि मे आवागमन करता रहा। रेस्पो0 उक्त प.न. 149/284 के कि.न. 24 व 25 मे रास्ता की सुविधा होने के बावजूद नया रास्ता स्वीकृत नही करवा सकता। उपरोक्त परिस्थितियों में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के प्रावधानों अनुसार प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि मे रास्ते की परम आवश्यकता के बिन्दू को मध्यनजर रखते हुये रास्ता के संबंध मे मौका निरीक्षण रिर्पोट प्राप्त कर पुनः निर्णय पारित किया जाना अपेक्षित है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.06.2018 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.06.2018 अपास्त किया

जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण कर रास्ता स्वीकृति के संबंध मे मौका निरीक्षण रिर्पोट प्राप्त करने के उपरांत नियमानुसार रास्ता के आवेदन पत्र मे पुनः नये सिरे से 15 दिवस मे निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.08.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official